न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) कोटपूतली जयपुर

मिसल संख्या 84/2018

उनवान सरकार बनाम अशोक चौधरी

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

निर्णय

दिंनाकः— 30.11.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पटवारी हल्का मलपुरा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियभ 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की रिर्पोट प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नम्बर 68 कुल रकबा 13.32 है. किस्म गै.मु.नदी की भूमि में गैर सायल श्री अशोक चौधरी पुत्र मामचन्द चौधरी कोरोपिक्स फैक्ट्री स्थाई पता एफ—33,34 रीको इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया सोता नाला मलपुरा द्वारा रकबा 0.0132 है.अर्थात 120 मीटर भूमि में पक्का निर्माण करके अतिक्रमण किया हुआ है। पटवारी हल्का से रिर्पोट प्राप्त होने पर गैर सायल श्री अशोक चौधरी को इस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया । श्री अशोक चौधरी द्वारा नोटिस के विरूद्व इस कार्यालय में जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ग्रम मलपुरा में सोतानाला रीको आधौगिक क्षेत्र में रिको से प्लाट नम्बर एफ 33—34 खरीद कर फैक्ट्री स्थापित कर रखी है। प्रार्थी द्वारा अपनी फैक्ट्री के पिछे फैक्ट्री की भूमि अर्थात रिको की भूमि में मजदुरों के आवास बना रखे है। पटवारी हल्का द्वारा बार बार प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमण किये जाने की रिर्पोट की जा रही है। पूर्व में प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिर्पोट की गई थी एंव प्रार्थी के मजदूरो के आवास को तोड़ने का प्रयास किया गया था। मेरे द्वारा ततसमय भी तहसीलदार साहब को यह अवगत कराया गया था कि पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान किये ही प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिर्पोट प्रस्तुत की है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा मनमाने तरीके से प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिर्पोट बार बार प्रस्तुत की जा रही है जबकि पटवारी हल्का को मौके का सीमाज्ञान कर वास्तविक स्थिति अनुसार सीमाज्ञान करने के उपरान्त ही प्रार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिर्पोट करनी चाहिए थी। नोटिस के जवाब में गैर सायल द्वारा यही प्रार्थना की गई है कि मौके पर मूताबिक राजस्व नक्शा सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरान्त पटवारी हल्का से मौके की वास्तविक स्थिति की रिर्पोट प्राप्त करने के बाद ही की प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई जावें। प्रकरण में गैर सायल के जवाब के आधार पर न्यायहित में मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए गैर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पटवारी हल्का मलपुरा एंव भू.अ.निरीक्षक पनियाला को मौके पर आराजी खसरा नम्बर 68 मौजा मलपुरा का राजस्व नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान कर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति की रिर्पोट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गए।

2018 0.19 के भा० सं० 4
पृष्ठ 75 पर 01
3

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

कोटपूतली

पटवारी हल्का मलपुरा एंव भू.अ.निरीक्षक पनियाला द्वारा दिंनाक 12.11.2018 को फर्द मौका सीमाज्ञान रिर्पोट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उनके द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 47 गै.मु.चाह मुस्तकिल पांईट से खसरा नम्बर 68 मौजा मलपुरा की दक्षिणी मेड़ तक जरीब चलाई गई तो पाया कि गैर सायल द्वारा मौके पर जो पक्का निर्माण अर्थात मजदुरों के आवास बना रखे है उस निर्माण का दक्षिण से उत्तर में 13 मीटर लम्बाई में निर्माण रिको की भूमि में है एंव 12 मीटर लम्बाई का निर्माण आराजी खसरा नम्बर 68 गै.मु.नदी की अर्थात राजकीय भूमि में आता है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिर्पोट में मौके का नजरिया नक्शा भी प्रस्तुत किया है जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार गैर सायल द्वारा आराजी खसरा नम्बर 68 गै.मु.नदी की भूमि में 12 मीटर लम्बाई में अतिक्रमण किया हुआ है यह तथ्य प्रमाणित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि गैर सायल श्री अशोक चौधरी पुत्र मामचन्द चौधरी कोरोपिक्स फैक्ट्री स्थाई पता एफ–33,34 रीको इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया सोता नाला मलपुरा को आराजी खसरा नम्बर 68 गै.मु.नदी की भूमि में अतिकमित रकबा 0.0120 है. अर्थात 120 मीटर की भूमि से बेदखल किया जाता है एंव बतौर शास्ती लगाान की 50 गुणा राशि 3.00 रुपये अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का मलपुरा एंव भू.अ.निरीक्षक पनियाला गैर सायल को मौके से बेदखल कर बेदखली रिर्पोट इस कार्यालय में प्रस्तुत करे एंव शास्ती की राशि वसूल कर तहसील राजस्व लेखाकार से कायमी कराकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिंनाक 30.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार कोटपूतली
कोटपूतली (जयपुर)